(4)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– अर्पिता सोनी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः अपील / 110 / 2022
GCMS NO- 2022/110

दायरा दिनांकः 06.10.2022

1.कमला देवी पत्नी बहादुर पुत्री स्व0 श्री पनीया उर्फ पन्नाराम जाति सांसी निवासी वार्ड नं. 7 बीपीओ गोमनवाली (8जी.एम.) तहसील श्रीविजयनगर।
2.गंगो पत्नी मिठ्ठूराम पुत्री स्व0 श्री पनीया उर्फ पन्नाराम जाति सांसी निवासी वार्ड नं. 2, कमाना 25 एसएसडब्ल्यू तहसील डबली राठान जिला हनुमानगढ़।
3.लिछमा देवी पत्नी जैमल पुत्री स्व0 श्री पनीया उर्फ पन्नाराम जाति सांसी निवासी भोपालपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

(अपीलांटस)

बनाम

1.राजस्थान राज्य जरिये राजस्व तहसीलदार सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. सोनूराम पुत्र स्व0 श्री पनीया उर्फ पन्नाराम जाति सांसी, निवासी 6 जी.डी.एम तह सूरतगढ़।
3. रामचन्द्र पुत्र स्व0 श्री पनीया उर्फ पन्नाराम जाति सांसी, निवासी 6 जी.डी.एम तहसील सूरतगढ।
4. नन्दूराम पुत्र स्व0 श्री पनीया उर्फ पन्नाराम जाति सांसी, निवासी 6 जी.डी.एम तहसील सूरतगढ़।
5. मंगूराम पुत्र स्व0 श्री पनीया उर्फ पन्नाराम जाति सांसी, निवासी 6 जी.डी.एम तहसील सूरतगढ़।
6. नत्थों पुत्री स्व0 श्री पनीया उर्फ पन्नाराम जाति सांसी, निवासी 6 जी.डी.एम तहसील सूरतगढ़।
7. रेशमा पुत्री स्व0 श्री पनीया उर्फ पन्नाराम जाति सांसी, निवासी 6 जी.डी.एम तहसील सूरतगढ़।
8. प्रोजीया उर्फ फिरोजीया फौत पुत्र स्व0 श्री पनीयां उर्फ पन्नाराम जाति सांसी निवासी 6 जी.डी.एम. तहसील सूरतगढ़
8/1 सुनीता देवी पत्नी प्रोजिया उर्फ फिरोजिया जाति सांसी निवासी 6 जी.डी.एम. तहसील सूरतगढ़
8/2 मनीष पुत्र प्रोजिया उर्फ फिरोजिया जाति सांसी निवासी 6 जी.डी.एम. तहसील सूरतगढ जरिये कुदरती वली माता सुनिता देवी
8/3 पूजा पुत्री प्रोजिया उर्फ फिरोजिया जाति सांसी निवासी 6 जी.डी.एम. तहसील सूरतगढ जरिये कुदरती वली माता सुनिता देवी

(रेस्पोडेंटस)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू.राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री शिवकुमार अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री ओमप्रकाश सहारण अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 2, 4 ता 7 व 8/1, 8/2, 8/3
3. श्री निरंजन सेतिया रेस्पो.सं. 3
4. पैरोकार राज

:: निर्णय ::

दिनांकः– 11-10-2023

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांटगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सूरतगढ़ द्वारा पारित विरास्तन इंतकाल संख्या 09 दिनांक 01.11.1991 के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि चक 7 जी.डी.एम. पत्थर संख्या 240/24, किला नं. 1 ता 20 तथा 22 ता 25 के विरास्तन इंतकाल संख्या 09 दिनांक 01.11.1991 में अपीलार्थीगण के नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं किया गया है, जो कि मूल रिकार्ड व प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तों व विधि के विपरीत होने के कारण निरस्ती योग्य है। पनीया उर्फ पन्नाराम के जीवनकाल में उनकी माता का देहांत हो गया था। पनिया उर्फ पन्नाराम की मृत्यु के बाद उनके पुत्र गंगराम कि मृत्यु दिनांक 17.05.1992 को अविवाहित ला औलाद फौत हो गया था उसकी वारिस उसकी माता चि[illegible] थी। पनिया उर्फ पन्नाराम की पत्नी चिड़िया की मृत्यु दिनांक 26.11.2004 को हो चुकी है तथा [illegible] फिरोजिया की मृत्यु दिनांक 14.05.2019 को हो चुकी है, जिनके वारिसान [illegible] पूजा है। अतः अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2024.01.23 17:15:04 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

782

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर इंतकाल संख्या 09 दिनांक 01.11.1991 बाबत विरासतन इंतकाल चक 7 जी.एम.डी. प0 सं0 240/24 में अपीलार्थीगण के नाम खातेदार के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री शिव कुमार हाजिर आये। राज पैरोकार व रेस्पोडेंट संख्या 02 व 4 ता 8 की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश सहारण व रेस्पोडेंट सं0 3 की ओर से अधिवक्ता निरंजन सेतिया हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जिसमें जैर अपील इंतकाल संख्या 09 दिनांक 01.11.1991 स्वीकृत किय गया। जिसकी अपीलांट को पूर्व में जानकारी नहीं थी। अपीलांटगण के.सी.सी. बनाने के लिये बैंक से सम्पर्क करने पर सर्वप्रथम विरासन इंतकाल में गलती का ज्ञान प्राप्त हुआ, इसके बाद पटवारी हल्का से सम्पर्क कर दिनांक 02.08.2022 को इंतकाल की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर बिना किसी देरी के यह अपील पेश कर दी। अपील जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंटगण ने उक्त प्रार्थना पत्र का ना तो कोई जवाब पेश किया तथा ना ही दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्वीकार करने पर कोई आपत्ति जाहिर की। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सूचना दिये इंतकाल दर्ज करना प्रतीत होता हैं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलांट ने देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक प्रतीत होता है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमों के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जिसमें चक 7 जी. डी.एम. पत्थर संख्या 240/24, किला नं. 1 ता 20 तथा 22 ता 25 के विरास्तन इंतकाल संख्या 09 दिनांक 01.11.1991 में अपीलार्थीगण के नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं किया गया है, जो कि मूल रिकार्ड व प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तों व विधि के विपरीत होने के कारण काबिल दुरूस्ती है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का इंतकाल संख्या 09 दिनांक 01.11.1991 चक 7 जी.डी.एम. पत्थर संख्या 240/24, किला नं. 1 ता 20 तथा 22 ता 25 में अपीलार्थीगण के नाम खातेदार के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश फरमायें।

रेस्पोडेंट संख्या 2 व 4 ता 8 द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया। जो शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 2 व 4 ता 8 ने दौराने बहस रेस्पो. सं. 2 व 4 ता 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र व रेस्पोडेंट संख्या 2, 4 ता 7 व 8/1, 8/2, 8/3 द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांटगण प्रार्थीगण की सगी बहनें व प्रार्थीया सुनीता देवी की सगी ननद है। प्रार्थीगण के पिता व प्रार्थीया सुनीता के ससुर का देहांत हो चुका हैं। प्रार्थीगण के पिता व प्रार्थीया सुनीता के ससुर के देहांत के बाद चक 7 जी.डी.एम. पत्थर संख्या 240/24, के विरास्तन इंतकाल संख्या 09 दिनांक 01.11.1991 में अपीलार्थीगण का नाम जमाबंदी में अंकित होने से सहवन से रह गया था। यदि अपीलार्थीगण का नाम वर्तमान में खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है तो प्रार्थीगण को कोई ऐतराज नहीं है। अधिवक्ता रेस्पो. सं. 2 व 4 ता 8 ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या 2, 4 ता 7 व 8/1, 8/2, 8/3 की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्रों में टंकण त्रुटिवश मद संख्या 2 की प्रथम पंक्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2024.01.23 17:15:04 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

में पत्थर संख्या 240/24 के स्थान पर पत्थर नं. 240/40 अंकित हो गया है, जिसे प्रार्थीगण सही कराना चाहते हैं। अतः निवेदन है कि शपथ-पत्रों की मद संख्या 2 की प्रथम पंक्ति में प.नं. 240/40 के स्थान पर पत्थर नं. 240/24 पढ़े जाने की कृपा करें। प्रार्थना-पत्र पर अधिवक्ता अपीलांट द्वारा No Objection अंकित किया। प्रार्थना-पत्र शामिल पिशल किया गया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया तथा जिससे पाया कि प्रकरण में जेर अपील भूमि के संबंध में अपीलार्थीगण का नाम पनीया उर्फ पन्नाराम की मृत्यु के बाद वारिसनामा में अंकित नहीं है। उसी वारिसनामा के आधार पर दर्ज इंतकाल सं. 09 दिनांक 01.11.1991 में भी अपीलार्थीगण का नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं किया गया। हमने रेस्पोडेंट संख्या 2 व 4 ता 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र व रेस्पोडेंट संख्या 2, 4 ता 7 व 8/1, 8/2, 8/3 द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर का भी अवलोकन किया जिसमें रेस्पोडेंटगण द्वारा स्वीकार किया है कि चक 7 जी.डी.एम. पत्थर संख्या 240/24, के दिरासतन इंतकाल संख्या 09 दिनांक 01.11.1991 में अपीलार्थीगण का नाम जमाबंदी में अंकित होने से सहदन से रह गया था। यदि अपीलार्थीगण का नाम वर्तमान जमाबंदी में खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन इंतकाल दुरुस्ती योग्य है।

अतः रेस्पोडेंटगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं शपथ पत्र विश्वास करते हुए अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का इंतकाल संख्या 09 दिनांक 01.11.1991 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सूरतगढ को इस आश्य के साथ प्रतिपेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए भली-भांति जांच कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सूरतगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2024.01.23 17:15:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner